निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1933 (श0)

(सं0 पटना 186) पटना, शुक्रवार, 6 मई 2011

वाणिज्य–कर विभाग

————

अधिसूचनाएं

5 मई 2011

एस0 ओ0 53, दिनांक 6 मई 2011—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 15 की उप–धारा (1क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 159, दिनांक 12 अगस्त, 2010 (इसके उपरांत ''उक्त अधिसूचना'' के रूप में निर्दिष्ट) में निम्न संशोधन करते हैं:–

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के कंडिका 1 में संशोधन–उक्त अधिसूचना की कंडिका 1 में शब्द समूह ''रू0 दस हजार होगी'' के उपरांत पूर्ण विराम को कोलन से प्रतिस्थापित किया जायेगा और उसके बाद निम्नलिखित दो परंतुक तथा क्रमशः कंडिका 2, 3 एवं 4 जोड़ी जायेगी;–

''परन्तु यह कि दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से प्रारम्भ होनेवाले वित्तीय वर्ष की बावत इस अधिसूचना के अधीन देय राशि में से विभागीय अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 79, दिनांक 13 सितम्बर, 2007 के अधीन व्यवहारी द्वारा भुगतायी गई राशि, यदि कोई हो, की सीमा तक घटा दी जायेगी एवं शेष राशि ही, यदि कोई हो व्यवहारी द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से प्रारंभ होनेवाले वित्तीय वर्ष की बावत इस अधिसूचना के अधीन देय होगी:

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना के प्रवृत होने के पूर्व यदि व्यवहारी द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 79, दिनांक 13 सितम्बर, 2007 के अधीन दस हजार रुपये से अधिक की राशि जमा की गई है तो ऐसी अधिकाई राशि व्यवहारी को प्रतिदेय नहीं होगी।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 79, 13 सितम्बर, 2007 एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

3. इस अधिसूचना के अधीन भुगतेय नियत राशि, व्यवहारी के विकल्प पर,–

(क) संबंधित वित्तीय वर्ष के सितम्बर की 30 तारीख एवं मार्च 31 तारीख को दो समान किस्तो में;

(ख) संबंधित वित्तीय वर्ष के सितम्बर की 30 तारीख को एक किस्त में;

भुगतेय होगी।

4(क) अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानो के अधीन ऐसे व्यवहारियों द्वारा दाखिल विवरणी संवीक्षा के अध्यधीन नहीं होगी जिसपर धारा 15 की उप–धारा (1क) के प्रावधान लागू होते हों।

(ख) अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानो के अधीन ऐसे व्यवहारियों को अंकेक्षण हेतु चयन नहीं किया जायेगा जिनपर धारा 15 की उप–धारा (1क) के प्रावधान लागू होते हों।''

3. उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 का पुनर्संख्यांकन–उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 को कंडिका 5 के रूप में पुनर्सांख्यांकित किया जायेगा।

4. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं0 बिक्री–कर / संशोधन–02 / 2010–1651(अनु0)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजित पुनहानी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

5 मई 2011

एस0 ओ0 54, एस0 ओ0 53, दिनांक 6 मई 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0 बिक्री–कर / संशोधन–02 / 2010–1651(अनु0)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजित पुनहानी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 5th May 2011

S.O. 53, dated the 6th May 2011—In exercise of the powers conferred under Sub-section (1A) of Section 15 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to Commercial Taxes Department Notification No. S.O. 159, dated the 12th August 2010 (hereinafter referred to as "the said notification"):-

Amendments

1. Amendment to clause 1 of the said notification.— The full stop after the words "financial year" in Para 1 of the said notification shall be substituted by a colon.

(*2*) After the colon thus substituted in Para 1 of the said notification, the follwoing two provisos and para 2, 3 and 4 shall be added respectively;—

"Provided that the amount payable under this notification in respect of the financial year commencing the 1st April 2010 shall be reduced by the amount, if any, already paid by the dealer under departmental notification number S.O. 79, dated 13th September 2007 and only the amount remaining, if any, after such reduction shall be payable by the dealer under this notification in respect of the financial year commencing the 1st April 2010:

Provided further that if, before the coming into effect of this notification, the amount paid by a dealer under departmental notification number S.O. 79, dated 13th September 2007 exceeds ten thousands rupees, such excess shall not be refunded to the dealer.

2. Departmental notification number S.O. 79, dated 13th September 2007 is hereby cancelled.

3. The fixed amount payable under this notification shall, at the option of the dealer, be payable—

(a) in two equal installments by the 30th of September and the 31st of March of the concerned financial year; or

(b) in one installment by the 30th of September of the concerned financial year.

4(a) The return furnished by a dealer to whom the provisions of sub-Section (*1A*) of Section 15 apply, shall not be subjected to scrutiny under the provisions of Section 25 of the Act.

(b) A delar to whom the provisions of sub-Section (*1A*) of Section 15 apply shall not be selected for audit under the provisions of Section 26 of the Act."

(3) Renumbering of clause 2 of the said notification.—Para 2 of the said notification shall be renumbered as Para 5."

4. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[No. Bikri Kar/Sansodhan-02/2010—1651(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,

RAJIT PUNHANI,

Commissioner-Cum-Secretary.

5 मई 2011

एस0 ओ0 55, दिनांक 6 मई 2011—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27/2005) की धारा 93 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं–

संशोधन

1. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 3 में संषोधन– बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 3 के उप–नियम (10) के पश्चात् एक नया उप–नियम (11) निम्नवत् अन्तः स्थापित किया जायेगा, यथा :–

"(11)(क) उप–नियम (1), उप–नियम (2), उप–नियम (3), उप–नियम (4), उप–नियम (5), उप–नियम (6), उप–नियम (7), उप–नियम (8), उप–नियम (9) एवं उप–नियम (10) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक ऐसे व्यवहारी द्वारा जिसपर धारा 15 की उप–धारा (1क) के प्रावधान लागू होते हों, निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र A-1क में दिया जायेगा एवं ऐसा आवेदन वैसे अंचल प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर व्यवहारी के कारोबार का स्थान अवस्थित हो।

(ख) प्रत्येक ऐसा आवेदन, अंचल के काउंटर पर अथवा वाणिज्य–कर विभाग के आधिकारिक वेब–साईट पर इलेक्ट्रॉनिक रीति से जमा किया जायेगा तथा उक्त आवेदन इसके आगे निर्दिष्ट रीति से संसाधित किया जायेगाः–

(i) उप–नियम (11) के अधीन इलेट्रॉनिक रीति से दाखिल किये गए आवेदन के मामले में संबंधित अंचल का प्रभारी यह सुनिष्चित करने के पश्चात् कि आवेदन के सभी स्तम्भ पूरी तरह भरे गये हैं, आवेदक को यथाशीध्र, अधिमानित रूप से आवेदन दाखिल होने के पन्द्रह दिनों में, प्रपत्र C-1 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा ऐसा प्रमाण पत्र आवेदक को उसके ई मेल एकाउंट पर, यदि उसने ऐसा ई मेल पहचान प्रस्तुत किया है, अथवा उसके द्वारा दिये गए आवेदन में उल्लिखित पते, पर प्रेषित करेगा।

(ii) यदि उप–नियम (11) के अधीन आवदेन इलेक्ट्रॉनिक रीति से नहीं दिया गया हो तो ऐसा आवेदन संबंधित अंचल के काउंटर पर जमा किया जायेगा। काउंटर प्रभारी यह सुनिष्चित करने के पश्चात् कि आवेदन के सभी स्तम्भ पूरी तरह भरे गये हैं, आवेदन हस्ताक्षरित एवं सत्यापित है, उस व्यक्ति को इसके बदले एक रसीद निर्गत करेगा और इसे पंजी VR-XII में दर्ज करेगा।

(iii) इसके उपरांत संबंधित अंचल का प्रभारी आवेदक को, यथाशीध्र, अधिमानित रूप से आवेदन दाखिल होने के पन्द्रह दिनों के भीतर प्रपत्र C-1 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र देगा तथा ऐसा प्रमाण पत्र आवेदक को उसके ई–मेल एकाउंट पर, यदि उसने ऐसा ई मेल पहचान प्रस्तुत किया हो अथवा उसके द्वारा दिये गए आवेदन में उल्लिखित पते पर, प्रेषित करेगा।"

2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 11 में संशोधन– बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 11 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''11. व्यवहारी द्वारा देय कर के बदले धारा 15 की उप–धारा (*1क*) के अधीन नियत राशि का भुगतान–(*1*) धारा 15 की उप–धारा (1क) के प्रावधान वैसे व्यवहारियों पर लागू होंगे जिनके सकल आवर्त के उनके अपने प्राक्कलन के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 40 लाख रुपयों से अधिक होने की संभावना नहीं हो।

(*2*) धारा 15 की उप–धारा (*1क*) के अधीन नियत राशि का भुगतान करने हेतु हकदार व्यवसायी नियम 62 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रपत्र A-XIA के माध्यम से सूचित करेगा। यह सूचना अंचल के काउंटर पर अथवा वाणिज्य–कर विभाग के आधिकारिक वेब–साईट पर इलेक्ट्रॉनिक रीति से जमा किया जायेगा तथा उक्त आवेदन इसके आगे विनिर्दिष्ट रीति से संसाधित किया जायेगा।

(*3*) उप–नियम (2) के अधीन इलेट्रॉनिक रीति से दाखिल किये गए आवेदन के मामले में संबंधित अंचल का प्रभारी यह सुनिष्चित करने के पश्चात् कि आवेदन के सभी स्तम्भ पूरी तरह भरे गये हैं, आवेदन दाखिल होने के पन्द्रह दिनों के भीतर, धारा 15 की उप–धारा (*1क*) के अधीन कर भुगतान करने की अनुज्ञा देगा तथा ऐसी अनुज्ञा की सूचना आवेदक को–

(क) उसके ई मेल एकाउंट पर यदि उसने ऐसा ई मेल पहचान प्रस्तुत किया हो; अथवा

(ख) उसके द्वारा दिये गए आवेदन में उल्लिखित पत्ते पर,

प्रेषित करेगा।

(*4*)(क) उप–नियम (2) के अधीन यदि आवदेन इलेक्ट्रॉनिक रीति से नहीं दिया गया हो तो ऐसा आवेदन संबंधित अंचल के काउंटर पर जमा किया जायेगा। काउंटर प्रभारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि आवेदन के सभी स्तम्भ पूरी तरह भरे गये हैं, आवेदन हस्ताक्षरित एवं सत्यापित है,

(*i*) उस व्यक्ति को इसके बदले एक रसीद देगा तथा

(*ii*) इसे पंजी VR-XII में दर्ज करेगा।

(ख) इसके उपरांत संबंधित अंचल का प्रभारी आवेदन दाखिल होने के पन्द्रह दिनों के भीतर, धारा 15 की उप–धारा (*1क*) के अधीन कर भुगतान करने की अनुज्ञा देगा तथा ऐसी अनुज्ञा की सूचना आवेदक को–

(i) उसके ई मेल एकाउंट पर यदि उसने ऐसा ई मेल पहचान प्रस्तुत किया है; अथवा

(ii) उसके द्वारा दिये गए आवेदन में उल्लिखित पत्ते पर,

प्रेषित करेगा।

(*5*) उप–नियम (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, यदि धारा 15 की उप–धारा (1क) के अधीन कर जमा करनेवाले व्यवहारी का सकल आवर्त किसी वर्ष में 40 लाख रूपये से अधिक हो जाय या उसके द्वारा अपने व्यवसाय के प्रयोजनार्थ राज्य के बाहर से किसी वस्तु का आयात किया जाय या वह व्यवसायी वस्तुओं का विनिर्माण प्रारम्भ कर दे तो कर देयता के बदले उसकी नियत दर पर अथवा नियत राशि का कर भुगतान करने की हकदारिता उस तिथि से समाप्त हो जायेगी जिस तिथि को, यथास्थिति, उसका सकल आवर्त्त प्रथम बार 40 लाख रुपये को पार करता हो अथवा उसके द्वारा विनिर्मित अथवा राज्य के बाहर से आयातित वस्तु की प्रथम बिक्री की जाती हो।

3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 में नये प्रपत्र का अन्तः स्थापन।– बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के साथ उपाबद्ध प्रपत्र A-1 के पश्चात् एक नया प्रपत्र A-1क निम्नवत् अन्तः स्थापित किया जायेगा, यथा :–

"फारम–A-1क

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के अधीन निबंधन हेतु आवेदन।

(देखें नियम–3)

कार्यालय.....वाणिज्य–कर.....अंचल

सेवा में,

.....

.....(अंचल)

मै.....(पूरा नाम), पुत्र.....(पूरा नाम) एतद् द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 19 के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र के निर्गमन हेतु आवेदन देता हूँ एवं इस संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियाँ संसूचित करता हूँ:–

1. व्यवसाय का नाम –
2. पता–
   - (क) मकान संख्या/दूकान संख्या–
   - (ख) सड़क/गली का नाम/मोहल्ला/बाजार–
   - (ग) ब्लॉक–
   - (घ) जिला–
   - (ड़) पिन कोड–
3. आवेदक की जन्म तिथि–
4. पैन/ड्राइविंग लाइसेंस संख्या–
5. बैंक का ब्योराः
   - (क) बैंक का नाम–
   - (ख) षाखा–
   - (ग) खाता संख्या–
   - (घ) खाता का प्रकार–
6. वस्तु–

सत्यापन

मैं घोषित करता हूँ कि इस आवेदन में दी गई विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही हैं।

स्थान आवेदक का हस्ताक्षर.....

तिथि व्यवसायी से आवेदक की प्रास्थिति.....

स्थायी पता.....

आवेदन पर, व्यक्ति की दशा में स्वामी, अविभक्त हिन्दु परिवार की दशा में कर्ता, फर्म की दशा में प्राधिकृत साझेदार, कंपनी या निगम की दशा में प्रबंध निदेषक, प्रबंध एजेन्ट या प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी, समिति, क्लब, तथा संस्था की दशा में प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी या प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा।"

4. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगी।

[सं0 बिक्री–कर / संशोधन–02 / 2010–1651(अनु0)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजित पुनहानी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

5 मई 2011

एस0 ओ0 56, एस0 ओ0 55, दिनांक 6 मई 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0 बिक्री–कर / संशोधन–02 / 2010–1651(अनु0)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजित पुनहानी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 5th May 2011

S.O. 55, dated the 6th May 2011— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005:

Amendments

1. Amendment of Rule 3 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005— After sub-Rule (*10*) of Rule 3 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, a new sub-Rule (*11*) shall be inserted in the following way, namely:-

"(*11*)(*a*) Notwithstanding anything contained in sub-Rule (*1*), sub-Rule (*2*), sub-Rule (*3*), sub-Rule (*4*), sub-Rule (*5*), sub-Rule (*6*), sub-Rule (*7*), sub-Rule (*8*), sub-Rule (*9*) and sub-Rule (*10*), an application for registration by a dealer to whom the provisions of sub-Section (*1A*) of Section 15 apply, shall be made in form A-IA and shall be filed before the Circle Incharge within whose jurisdiction the place of business of the dealer is situated.

(*b*) Such an application shall be submitted at the counter of the circle or shall be filed electronically on the official Web-site of the Commercial Taxes Department and the said application shall be processed in the manner hereinafter specified.

(*i*) In case where an application under Sub-rule (*11*) has been filed electronically, the Incharge of the concerned Circle, after verifying that all the columns of the application have been properly filled in, shall, grant the applicant a Certificate of Registration in form C-I at the earliest, preferably within fifteen days of the filing of the application and the Certificate shall be sent to the applicant on his e-mail account, if he has furnished such e-mail identity, or to the address furnished by him in his application.

(*ii*) In case where an application under Sub-rule (*11*) has not been filed electronically, such application shall be submitted at the counter of the concerned circle. The Incharge of the counter, after ascertaining that all the columns of the application have been properly filled in, signed and verified shall grant the person a receipt in lieu thereof, and enter the same in register VR-XII.

(*iii*) Thereupon the Incharge of the concerned Circle shall, grant the applicant a Certificate of Registration in form C-I at the earliest, preferably within fifteen days of the filing of the application and the Certificate shall be sent to the applicant on his e-mail account, if he has furnished such e-mail identity, or to the address furnished by him in his application."

2. Amendment of Rule 11 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005—Rule 11 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the following;-

"11. Payment of a fixed amount under Sub-Section (1A) of Section 15 in lieu of the tax payable by a dealer .— (*1*) The provisions of Sub-section (1*A*) of Section 15 shall apply to such dealers whose gross turnover, as per their own estimate, is not expected to exceed forty lacs rupees during a financial year.

(*2*) A dealer entitled to pay fixed amount under Sub-section (1A) of Section 15 shall intimate the authority specified in rule 62 through an application in Form A-XIA. Such intimation shall be submitted at the counter of the circle or shall be filed electronically on the official Web-site of the Commercial Taxes Department and the said application shall be processed in the manner hereinafter specified.

(*3*) In case where an application under Sub-rule (*2*) has been filed electronically, the Incharge of the concerned Circle, after verifying that all the columns of the application have been properly filled in, shall, within fifteen days of the filing of the application, grant permission to pay tax under the provisions of Sub-section (1A) of Section 15 and such permission shall be intimated to the applicant—

(a) on his e-mail account, if he has furnished such e-mail identity; or

(b) on the address furnished by him in his application.

(*4*)(a) In case where an application under Sub-rule (*2*) has not been filed electronically, such application shall be submitted at the counter of the concerned circle. The Incharge of the counter, after ascertaining that all the columns of the application have been properly filled in, signed and verified shall—

(i) grant the person a receipt in lieu thereof, and

(ii) enter the same in register VR-XII.

(b) Thereupon the Incharge of the concerned Circle shall, within fifteen days of the filing of the application, grant permission to pay tax under the provisions of Sub-section (1A) of Section 15 and such permission shall be intimated to the applicant —

(i) on his e-mail account, if he has furnished such e-mail identity; or

(ii) on the address furnished by him in his application.

(*5*) Notwithstanding anything contained is Sub-rule (*1*), if the gross turnover of a dealer paying tax under sub-Section (*1A*) of Section 15 exceeds forty lacs rupees during the course of the year or he imports any goods from outside the State for the purpose of his business or he becomes a manufacturer of goods, his entitlement to pay a fixed amount in lieu of the tax payable shall cease from the date on which his gross turnover first exceeded forty lacs rupees or, as the case may be, he first sold the goods manufactured by him or imported by him from outside the State.

3. Insertion of a new Form in the Bihar Value Added Tax Rules, 2005— After Form A-I appended to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, a new form A-IA shall be inserted in the following way, namely:-

"FORM A-IA

Application for registration under Secton 19(3) of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 [See rule3] Office of the …… of Commercial Taxes …….. Circle.

To,

The ……

……. Circle.

I, ……(full name), son of ……..(full name) hereby apply for the grant of a registration certificate under Section 19, of Bihar Value Added Tax Act, 2005 and furnish following particular for that purpose –

1. Name of the business –
2. Address –
   (a) House No./Shop No.—
   (b) Road/Street Name/Locality/Market—
   (c) Block—
   (d) District—
   (e) PIN Code—
3. Date of birth of the Applicant—
4. PAN/Driving License No.—
5. Bank details:
   (a) Bank Name—
   (b) Branch—
   (c) Account No.—
   (d) Account type—
6. Commodity dealt in—

VERIFICATION

I do hereby declare that the particulars furnished in the application are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Place……. Signature of the applicant……..

Status in relation to the dealer……

Date…….. Permanent address…….

The application shall be signed by the proprietor of the business if an individual, by the Karta, if an undivided Hindu family; by an authorized partner in the case of a firm; by a Managing Director, Managing Agent or Principal Executive Officer in the case of a company or corporation, by the Principal Executive Officer-in- charge of in the case of a society, club or association."

4. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[No. Bikri Kar/Sansodhan-02/2010—1651(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,

RAJIT PUNHANI,

Commissioner Cum Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 186-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in